रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18092026-276317
CG-DL-E-18092026-276317

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4937] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 18, 2026/भाद्र 27, 1948
No. 4937] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2026/BHADRA 27, 1948

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2026

का.आ. 5143(अ).— राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

आदेश

राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतर-राज्य परिषद् आदेश, 1990 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात् :-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम अन्तर-राज्य परिषद् (संशोधन) आदेश, 2026 है।

(2) यह तत्काल लागू होगा।

2. अंतर-राज्य परिषद् आदेश, 1990 के, खंड 2 में परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु -

(i) जहां कहीं किसी राज्य के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई कोई उद्घोषणा लागू है, वहां उस राज्य के राज्यपाल को परिषद् की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा; या

(ii) जहां राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 कख के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश लागू है, वहां राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के उप-राज्यपाल को परिषद् की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा; या

(iii) जहां संघ राज्यक्षेत्र पुडुचेरी के संबंध में, संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) की धारा 51 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया आदेश लागू है, वहां संघ राज्यक्षेत्र पुडुचेरी के उप-राज्यपाल को परिषद् की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा; या

(iv) जहां जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, जम्मू-कश्मीर पुनगर्ठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 73 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा लागू है, वहां जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के उप-राज्यपाल को परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।"

-ह-

नई दिल्ली, द्रौपदी मुर्मु,

तारीख ___ सितंबर, 2026 राष्ट्रपति

[फा. सं. IV/11017/3/90-सीएसआर-भाग-(1)]

अरविन्द खरे, संयुक्त सचिव

टिप्पण – अंतर-राज्य परिषद् आदेश, 1990 संख्या सा.का.नि. 512(अ) तारीख 28 मई, 1990 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात संख्या का.आ. 575(अ) तारीख 19 जुलाई, 1990 एवं संख्या का.आ. 902(अ) तारीख 24 दिसंबर, 1996 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2026

S.O. 5143(E).— The following order by the President is published for general information.

ORDER

In exercise of the powers conferred by article 263 of the Constitution, the President hereby makes the following order further to amend the Inter-State Council Order, 1990, namely:-

1. (1) This order may be called the Inter-State Council (Amendment) Order, 2026.
   (2) It shall come into force at once.

2. In the Inter-State Council Order, 1990, in clause 2 for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that–

(i) where a proclamation issued by the President under article 356 of the Constitution of India in relation to any State is in force, the Governor of that State shall be invited to attend the meetings of the Council; or

(ii) where an order issued by the President under article 239AB of the Constitution of India in relation to the National Capital Territory is in force, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory shall be invited to attend the meetings of the Council; or

(iii) where an order issued by the President under section 51 of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963) in relation to the Union territory of Puducherry is in force, the Lieutenant Governor of the Union territory of Puducherry shall be invited to attend the meetings of the Council; or

(iv) where an order issued by the President under section 73 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019) in relation to the Union territory of Jammu and Kashmir is in force, the Lieutenant Governor of the Union territory of Jammu and Kashmir shall be invited to attend the meetings of the Council".

-sd-

NEW DELHI, DROUPADI MURMU,

Dated the ___ September, 2026. President

[F. No. IV/11017/3/90-CSR-Part-(1)]

ARVIND KHARE, Jt. Secy.

NOTE : The Inter-State Council Order, 1990 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 512(E), dated the 28th May, 1990 and subsequently amended *vide* number S.O. 575(E), dated the 19th July, 1990 and S.O. 902(E), dated the 24th December 1996.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. BHABAJIT DEKA